भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2659
दिनांक 16.12.2025 को उत्तरार्थ

पंचायतों में निधि हस्तांतरण

†2659. डॉ. कडियम काव्यः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वारंगल को प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायतों को कितनी निधि हस्तांतरित की गई है;

(ख) क्या राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया है;

(ग) ई-ग्राम स्वराज पोर्टल जैसे डिजिटल शासन उपकरण को अपनाने की स्थिति क्या है; और

(घ) क्या सड़क और जलापूर्ति सहित ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क): ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs) को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 14.07.2021 को जारी परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, अनटाईड (बिना शर्त) एवं टाईड (सशर्त) अनुदान क्रमशः पंचायती राज मंत्रालय एवं जल शक्ति मंत्रालय की अनुशंसाओं के आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों को जारी किए जा रहे हैं। इसके उपरांत, पंचायती राज के सभी स्तरों के बीच अंतर-वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा नवीनतम राज्य वित्त आयोग की स्वीकृत अनुशंसाओं तथा 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित बैंड के अनुरूप किया जाता है।

इसलिए, पंचायती राज मंत्रालय राज्य में पंचायतों को स्तरवार (टियर-वाइज) आवंटन का रिकॉर्ड नहीं रखता है।

15वें वित्त आयोग के दौरान ग्रामीण स्थानीय निकायों हेतु तेलंगाना राज्य को जारी की गई 15वें वित्त आयोग की टाईड और अनटाईड (सशर्त तथा बिना शर्त) की अनुदान राशि का विवरण निम्नलिखित है:

(रुपये करोड़ में)

क्रम सं	वर्ष	अनटाईड (बिना शर्त)		टाईड (सशर्त) जारी राशि		कुल जारी राशि	
		आवंटन	**जारी**	**आवंटन**	**जारी**	**आवंटन**	**जारी**
1	2020-21 (अंतरिम अवधि)	923.50	923.50	923.50	923.50	1847.00	1847.00
2	2021-22	546.00	546.00	819.00	819.00	1365.00	1365.00
3	2022-23	566.00	566.00	849.00	849.00	1415.00	1415.00
4	2023-24	572.00	569.67	858.00	854.51	1430.00	1424.18
5	2024-25*	605.00	-	908.40	-	1514.00	-
6	2025-26*	590.80	-	886.20	-	1477.00	-
* वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान जारी नहीं किए जा सके क्योंकि राज्य के द्वारा वित्त मंत्रालय द्वारा 14.07.2021 को जारी कार्यकारी दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं किया गया जैसे कि निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों का होना और राज्य वित्त आयोग से संबंधित प्रावधानों का पालन करना।						

ख): पंचायती राज शासन में सुधार हेतु पंचायती राज मंत्रालय सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं तथा अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (CB&T) को प्रमुख उद्देश्य के रूप में रखते हुए वित्त वर्ष 2022-23 से केंद्रीय रूप से प्रायोजित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) का कार्यान्वयन कर रहा है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, कार्मिकों तथा अन्य हितधारकों के लिए विभिन्न श्रेणियों जैसे कि मूल अभिमुखीकरण एवं पुनर्शिक्षण प्रशिक्षण **(**बेसिक ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर ट्रेनिंग)**,** थीम आधारित प्रशिक्षण, विशिष्ट प्रशिक्षण, पंचायत विकास योजना प्रशिक्षण आदि हेतु क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (CB&T) का प्रावधान किया जाता है।

वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 (25 नवंबर 2025 तक)की अवधि के दौरान कुल 75,01,926 महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से कुल 27,32,762 महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों (WER) को योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया।

इसके अलावा, मंत्रालय ने इस साल पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (WERs) की क्षमता निर्माण के लिए "सशक्त पंचायत नेत्री अभियान" के एक भाग के रूप में एक व्यापक विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल लॉन्च किया है। प्रशिक्षण मॉड्यूल का फोकस ग्रामीण शासन के विभिन्न पहलुओं पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता का निर्माण करना; निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों के प्रभावी निर्वहन के लिए ज्ञान एवं व्यावहारिक कौशल को बढ़ाना और साथ ही प्रभावी महिला-नेतृत्व वाले शासन के लिए नेतृत्व, संचार, प्रबंधकीय एवं निर्णय लेने के कौशल का विकास करना है। कुल 44,143 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (25 नवंबर 2025 तक) को इन मॉड्यूल्स पर प्रशिक्षित किया गया।

(ग) मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) को लागू कर रहा है, जिसने जमीनी स्तर पर पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। ई-पंचायत एमएमपी के हिस्से के रूप में विकसित ईग्रामस्वराज एप्लिकेशन ने पंचायत स्तर पर डिजिटल योजना, लेखांकन, निगरानी और ऑनलाइन भुगतान को सक्षम बनाया है। ईग्रामस्वराज का सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकरण विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय में भुगतान करने में सक्षम बनाता है, जिससे निधियों के प्रवाह में सुगमता आती है और विलंब कम होते हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में, देशभर के कुल 2.55 लाख ग्राम पंचायतों ने अपनी ग्राम पंचायत विकास योजनाएँ (जीपीडीपी) अपलोड कीं, और ईग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफ़ेस के माध्यम से ₹61,000 करोड़ से अधिक की राशि स्थानांतरित की गई है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा विकसित 'मेरी पंचायत' जैसी एप्लिकेशनों ने पंचायत स्तर पर योजना, गतिविधियों तथा कार्यों की प्रगति संबंधी जानकारी को आम जनता के लिए सुलभ बनाकर पंचायत शासन में

पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार, 'पंचायत निर्णय' एक ऑनलाइन एप्लिकेशन है जिसका उद्देश्य पंचायतों द्वारा ग्राम सभाओं के संचालन में पारदर्शिता तथा बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है।

इसके अलावा, पंचायत खातों एवं उनके वित्तीय प्रबंधन के ऑनलाइन ऑडिट हेतु 'ऑडिटऑनलाइन' नामक एक एप्लिकेशन विकसित किया गया है। केंद्रीय वित्त आयोग की निधियों के उपयोग की पारदर्शी ऑडिटिंग तथा पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए 'ऑडिटऑनलाइन' को अप्रैल 2020 में प्रारंभ किया गया था।

(घ): 'पंचायत', 'स्थानीय सरकार' होने के नाते, राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। पंचायतेँ संबंधित राज्य के पंचायती राज अधिनियमों के माध्यम से स्थापित की जाती हैं और संचालित होती हैं, जो संविधान के प्रावधानों के अधीन, हर राज्य में अलग-अलग हो सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, पंचायती राज मंत्रालय सड़कों, पानी की सप्लाई और इसी प्रकार के अन्य कार्यों सहित पूर्ण किए गए ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं का कोई डेटा नहीं रखता है।

*****